No.2/10(8)/98-I
Government of India
Department of Space

Antariksh Bhavan
New BEL Road
Bangalore 560 231

May 24, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Incentives for Scientists/Engineers in DOS/ISRO – Grant of Professional Update Allowance - Reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated February 3, 1999 on the above mentioned subject, which inter-alia, included grant of Professional Update Allowance of ₹.5000/- per annum from the Financial Year 1998-99 onwards to all Scientists/Engineers in the pre-revised scale of pay of ₹.8000-275-13500 and above in DOS/ISRO, to enable them to keep themselves updated and to widen their horizon. Subsequently, vide Department's OM of even number dated December 20, 2000, it was decided that Professional Update Allowance of ₹.5000/- may be paid to the eligible Scientists/Engineers in DOS/ISRO w.e.f. Financial Year 1999-2000 onwards.

2. Aggrieved with the decision of the Department to change the effective year for grant of Professional Update Allowance from 1998-99 to 1999-2000 onwards, some of the Scientists/Engineers challenged the decision of the Department before the Hon'ble High Court of Kerala through Writ Petitions No.29358/2004, 29710/2004 and 31525/2004, with a prayer for direction to make payment of Professional Update Allowance from the Financial Year 1998-99 onwards. The Hon'ble High Court of Kerala vide its common order dated 18.01.2007, inter-alia, ordered that the Professional Update Allowance shall be payable from 1998-99 falling due on 01.04.1999 onwards. The above directions of the Hon'ble High Court of Kerala has been examined in the Department and it has been decided to comply with the same.

3. In pursuance of the above, it has now been decided to grant Professional Update Allowance of ₹.5000/- for the Financial Year 1998-99 to Scientists/ Engineers in the pre-revised scale of pay of ₹.8000-275-13500 and above in DOS/ISRO. This will be paid to the eligible Scientists/Engineers, who were in service as on 01.04.1999. Since the Professional Update Allowance for the Financial Year 1998-99 is being paid in the form of arrears now, it has been decided to dispense with the certificate, which is being obtained from the eligible Scientists/Engineers ie., for the Financial Year 1998-99 only..

Cont.. 2/-

4. The expenditure involved would be met from within the budget of the Department for the current financial year.

5. This issues with the concurrence of the Finance vide Joint Secretary(F) Note No.JS(F)/DOS/2/1/2/2012 dated 21.12.2012.

6. Hindi version is enclosed.

[N.Pattabi Raman]
Under Secretary to the Govt. of India

To:

As per distribution list.

सं.ई.2/10(8)/98-I
भारत सरकार
अन्तरिक्ष विभाग

अन्तरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूर-560 231

मई 24 , 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अं.वि./इसरो में वैज्ञानिकों/अभियंताओं के लिए प्रोत्साहन - वृत्तिक अद्यतन भत्ता प्रदान करने के बारे में।

मुझे उपरोक्त विषय पर अन्तरिक्ष विभाग के दिनांक 03 फरवरी, 1999 के समसंख्यक आदेश का संदर्भ देने एवं यह कहने का निर्देश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अं.वि./इसरो में वित्तीय वर्ष 1998-99 से ₹8000-275-13500 और ऊपर के पूर्व संशोधित वेतन मान के सभी वैज्ञानिकों/अभियंताओं को, स्वयं के ज्ञान को अद्यतन करने और बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष ₹5000/- का वृत्तिक अद्यतन भत्ता प्रदान करना समावेशित है। तत्पश्चात, विभाग के 20 दिसम्बर, 2000 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के आनुसार, यह तय किया गया कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 से अं.वि./इसरो के अर्ह वैज्ञानिकों/अभियंताओं को ₹5000/- का वृत्तिक अद्यतन भत्ते का भुगतान किया जाये।

2. वृत्तिक अद्यतन भत्ते को 1999-2000 के बजाय 1988-99 से प्रदान करने के विभाग के निर्णय से क्षुब्ध हो कर, कुछ वैज्ञानिकों/अभियंताओं ने माननीय, केरल उच्च न्यायलय के समक्ष रिट याचिकाओं सं. 29358/2004, 29710/2004 और 31525/2004, में वित्तीय वर्ष 1998-99 से वृत्तिक अद्यतन भत्ते के भुगतान करने के निर्देश की प्रार्थना के साथ विभाग के निर्णय को चुनौती दी। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, अपने दिनांक 18.01.2007 के सामान्य आदेश के साथ यह आदेश दिया गया कि वृत्तिक अद्यतन भत्ता, जो 01.04.1999 से देय था, उसे 1998-99 से भुगतान किया जायेगा। विभाग में माननीय केरल उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों की जाँच की गयी और उसका अनुपालन करने का निश्चय किया गया है।

3. उपरोक्त के अनुसरण में, अं.वि./इसरो में ₹8000-275-13500/- और ऊपर के पूर्व संशोधित वेतनमान में वैज्ञानिकों/अभियंताओं को वित्तीय वर्ष 1998-99 से ₹5000/- का, वृत्तिक अद्यतन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह उन अर्ह वैज्ञानिकों/अभियंताओं को भुगतान किया जायेगा जो 01.04.1999 को सेवा में थे। चूँकि वित्तीय वर्ष 1998-99 का वृत्तिक अद्यतन भत्ता, अब बकाये के रूप में भुगतान किया जा रहा है, उसको प्रमाण-पत्र के साथ प्रदान करने का निश्चय किया गया है, जो कि अर्ह वैज्ञानिकों/अभियंताओं से वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये प्राप्त किया जा रहा है।

4. संबंधित खर्च को विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट से भुगतान किया जायेगा।

5. यह दिनांक 21.12.2012 के संयुक्त सचिव (वि) के नोट सं.सं.स.(वि)/अं.वि./2/1/2/2012 के द्वारा वित्त की सहमति से जारी किया जाता है।

पट्टाभि रामन

(एन. पट्टाभि रामन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:
वितरण सूची के अनुसार